कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें

- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना, देश के अन्य राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ में भी लागू है। श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदाय करने वाली यह योजना सभी कारखानों, सिनेमाघरों, ट्रांसपोर्ट तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, निजी सहायता प्राप्त शैक्षणिक एवं निजी चिकित्सा संस्थाओं तथा नगर निकाय जिनमें राज्य सरकार द्वारा संचालित नगर निगमों, नगर पालिकाएं, नगर परिषद् एवं अन्य स्थानीय निकाय पर लागू है। संस्थानों में 10 या अधिक श्रमिक कार्यरत होने पर यह योजना लागू होती है। वर्तमान में रुपये 21,000/– प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों को भी योजना में सम्मिलित किया गया है। योजना में सम्मिलित श्रमिकों को बीमित व्यक्ति कहा जाता हैं।
- बीमित व्यक्तियों के वेतन से उनके वेतन का 0.75: तथा नियोक्ताओं द्वारा बीमित के वेतन का 3.25: अंशदान नियमित रूप से कर्मचारी राज्य बीमा निगम को जमा करवाना होता है।
- योजना के अनुसार हितग्राहियों को चिकित्सा हितलाभ राज्य शासन द्वारा दिया जाता है।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम (केन्द्रीय शासन का निगम) द्वारा हितग्राहियों को नगद हितलाभ दिये जाते हैं।
- राज्य शासन द्वारा बीमित हितग्राहियों को कैशलेस आधार पर सेकण्डरी चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
- बीमित हितग्राहियों को बेहतर चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराने तथा उनके प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी का गठन किया गया है।
- छत्तीसगढ़ कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी के गर्विनिंग बॉडी के अध्यक्ष मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन है तथा सोसायटी के एक्जीक्यूटिव कमेटी के अध्यक्ष सचिव, श्रम छत्तीसगढ़ शासन है।